

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सागवाडा
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत, न्याय आपके द्वार/केम्प कोर्ट)


म पीठासीन अधिकारी - श्री गोपाललाल स्वर्गीकार
श्री मोघालसिंह (आर०ए०एस०)
उपखण्ड अधिकारी सागवाडा
प्रकरण संख्या / / 2018

दायर दि० ५-५-१८
फैसल दि० ५-५-१८

श्री रामकलाल/मोहनलाल
(वादी) वा० हड़माला
अनवान
बनाम भूमिधारी तहसीलदार
सागवाडा
(प्रतिवादी)

वादी श्री रामकलाल/मोहनलाल ने वाद प्रस्तुत कर
मोजा हड़माला के खाता नम्बर ६९ जमाबन्दी सं० २०१२-७५
में अंकित स्वयं/पिता का नाम रामकलाल/मोहनलाल
गलत दर्ज होने से संशोधन के लिए प्रार्थना पत्र आज शिविर में प्रस्तुत किया है
। प्रार्थना पत्र राजस्व वाद प्रकृति का होने से राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर कर
रिपोर्ट पटवारी/भूमिधारी प्राप्त की गई रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी का सही नाम रामकलाल/मोहनलाल
है लेकिन उक्त खाते में गलत नाम रामकलाल
रामकलाल/मोहनलाल दर्ज होने से संशोधन के लिए अभिशंसा की गई है ।
प्रार्थी द्वारा स्वयं/पिता का सही नाम रामकलाल/मोहनलाल
कि० हड़माला होने के सम्बन्ध में राशनकार्ड/आधार कार्ड/मतदाता
पहचान पत्र एवं पंचायत प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है ।

अतः रिपोर्ट भूमिधारी एवं प्रस्तुत दस्तावेज अनुसार वादी का वाद
स्वीकार किया जाता है । तहसीलदार दृसागवाडा/गलियाकोट को आदेश
दिया जाता है कि मोजा हड़माला की जमाबन्दी संवत् २०१२-७५
के खाता संख्या ६९ में खातेदार/सहखातेदार का अंकित गलत
नाम रामकलाल में संशोधन कर सही नाम रामकलाल/मोहनलाल
दर्ज रेकार्ड किया जावे ।
निर्णयानुसार पालना हेतु तहसीलदार को लिखा जाकर पत्रावली फैसल शुमार
हो नम्बर से कम हो ।


उपखण्ड अधिकारी
सागवाडा